

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1038 / 2007 / भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम
मैसर्स जय दुर्गे रोडलाईन्स,
अलीगढ (यू.पी.)।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
जतीन हरजाई,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 05 / 12 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 116/आरएसटी/एनआरडी/2005-06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.09.2006 के विरुद्ध के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2005 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 3,29,513/- को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2005 को वाहन संख्या आर.जे.01/जी-5220 को राराह चैक पोस्ट पर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल्टी नम्बर 874 दिनांक 07.08.2005 एवं चालान संख्या 0051 दिनांक 07.08.2005 व एसटी-5ए नम्बर 0978592 दिनांक 28.05.2002 पेश किये। दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया दस्तावेज संदिग्ध मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(8) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(8) के तहत कुल शास्ति राशि रूपये 3,29,513/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2006 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपील आधारों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि दस्तावेजों में प्रस्तुत चालान में जो कीमत माल की अनुमानित दर्शाई गई है, वह वास्तविक नहीं थी, एवं परिवहनित माल के साथ संलग्न घोषणा पत्र एसटी-18 भी दो बार प्रयोग में लिया हुआ प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से माल का परिवहन किया जा रहा था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के समय उनके द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे, जो कि माल के परिवहन के लिए आवश्यक होते हैं। आगे उन्होंने अपने कथन में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज मौजूद थे। परन्तु घोषणा पत्र एसटी-18ए समयावधि पार था, जिसके संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विस्तृत जवाब नोटिस की पालना में दे दिया था। इस संबंध में माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर (2013) 94 टैक्स अपडेट 36 में अवधिपार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नोटिस के जवाब के साथ नवीन एसटी-18ए प्रस्तुत कर दिया था। "इस संबंध में माननीय कर बोर्ड का निर्णय अपील 215/2008 रानीवाला ज्वैलर्स प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में उद्धरित किया गया है कि यदि नोटिस के जवाब के साथ भी घोषणा प्रपत्र एसटी-18ए प्रस्तुत कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।" कर निर्धारण अधिकारी ने संदेह के आधार पर यह माना कि परिवहनित माल के साथ संलग्न घोषणा पत्र एसटी-18 भी दो बार प्रयोग में लिया हुआ है, एवं इसे उनके द्वारा किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है, मात्र संदेह के आधार पर आरोपित की गई शास्ति संधारणीय (Sustainable) नहीं हैं, इस संबंध में "माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम एम.एम.मैथ्यू एवं अन्य (1978) 42 एसटीसी 348 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :-

"Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of

लगातार.....3

legal proof. To establish the charges against the respondent, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transactions carried on by the respondents and none else.....”

7. परिवहनित माल के साथ अन्य सभी दस्तावेज वाहन के साथ मौजूद थे, जिनको भी सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या या बोगस प्रमाणित नहीं किया गया था। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य